HAPUR POLICE

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए एक हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 33,000/–रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 26-02-2026 को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के मामले में एक हत्यारोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

- दिनांक 15-06-2021 को अभियुक्त शानू उर्फ शान मौहम्मद पुत्र महबूब निवासी ग्राम सलाई थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड द्वारा अपने गांव निवासी नौशीन उर्फ आलिया को घर से भगा ले जाकर उसकी हत्या कर शव को सादिकपुर के गंदे नाले में फैंकने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पर मु0अ0सं0 260/2021 धारा 364, 302, 34, 201 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 29-07-2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 26-02-2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम हापुड़ द्वारा आजीवन कारावास व 33,000/–रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमती करूणा नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री उत्तम सिंह राठौर एवं पैरोकार म0का0 कुसुम व कोर्ट मोहर्रिर म0है0का0 अंजली तोमर का विशेष योगदान रहा।